



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-429 राँची, सोमवार,

23 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

06 अगस्त, 2021

संख्या-5/आरोप-1-5/2016का०-3816--श्री शारदा नन्द देव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-586/03, गृह जिला-दरभंगा), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध ब्यूरो प्रमुख-सह-पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड के पत्रांक-30/गो०, दिनांक 20.01.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कोडरमा-राँची रेल पथ निर्माण हेतु चन्दवारा मौजा में श्री महेन्द्र कुशवाहा, श्री महरू कुशवाहा आदि 12 अन्य रैयतों की 12 एकड़ 54 डिसमील जमीन अधिग्रहित की गयी है। अधिग्रहित जमीन के लिए अनुमान्य मुआवजे की राशि के भुगतान में इनके द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया एवं एक्सिस बैंक के कर्मियों एवं भू-अर्जन कार्यालय, कोडरमा के नाजीर की मिलीभगत से 10 (दस) प्रतिशत की दर से कमीशन के रूप में एक बड़ी अवैध राशि की वसूली की गयी है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री देव द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्ट आचरण किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है। इस भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के लिए निगरानी थाना कांड सं०-71/15, दिनांक 08.12.2015 दर्ज है, जो अनुसंधान अन्तर्गत है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं०-717, दिनांक 28.01.2016 द्वारा श्री देव को निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल,

राँची निर्धारित किया गया एवं विभागीय पत्रांक-1261, दिनांक 11.02.2016 द्वारा ब्यूरो प्रमुख-सह-पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची से निगरानी थाना कांड सं0-71/15, दिनांक 08.12.2015 के अभियुक्त श्री देव के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की माँग की गई। श्री देव के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-71/15, दिनांक 08.12.2015 में विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश सं0-17/जे0, दिनांक 09.05.2016 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई तथा विभागीय आदेश सं०-8016, दिनांक 16.09.2016 द्वारा न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 21.04.2016 से श्री देव को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया गया।

श्री देव के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक-1333, दिनांक 15.02.2016 द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-442/स्था०, दिनांक-14.05.2016 द्वारा श्री देव के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित किये गये-

1. आपके द्वारा कोडरमा-राँची रेल पथ निर्माण हेतु चन्दवारा मौजा में श्री महेन्द्र कुशवाहा एवं अन्य 12 रैयतों की 12 एकड़ 54 डिसमिल अधिग्रहित जमीन के लिए अनुमान्य मुआवजे की राशि के भुगतान में 10% की दर से कमीशन के रूप में एक बड़ी अवैध राशि की वसूली की गई।

2. आपके कहने पर नाजिर नववेश कुमार के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, कोडरमा शाखा से खाताधारियों की अनुपस्थिति में पूर्व से भरे गये निकासी पर्ची के आधार पर कमीशन की राशि निकाल कर एक्सिस बैंक, कोडरमा पहुँचाया जाता था।

3. आप एक्सिस बैंक, कोडरमा के प्रबंधक से कमीशन की राशि गिनवाते थे और कमीशन के रुपये बैंक से लेते थे।

4. आपके द्वारा वित्त विभाग का पत्रांक-1608, दिनांक 03.06.2015 से प्राप्त निदेश के विरुद्ध निजी बैंक, एक्सिस बैंक, कोडरमा के खाता सं०-914020015067559 में दिनांक 31.12.2015 को दो करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, कोडरमा से चेक सं०-03431 के माध्यम से एक्सिस बैंक, कोडरमा में स्थानान्तरण कराया गया। इतना ही नहीं आपने उक्त खाते में पूर्व में भी दिनांक 06.09.2014 को दो करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, कोडरमा से, दिनांक 17.07.2014 को दो करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया, कोडरमा से एवं 10.02.2015 को दो करोड़ रुपये सेन्ट्रल बैंक, झुमरी तिलैया से चेक के माध्यम से एक्सिस बैंक, कोडरमा में स्थानान्तरण कराया।

आपने दिनांक 10.11.2014 को अन्तर्राज्यीय चेकपोस्ट निर्माण मेघातरी के लिए प्राप्त 1,26,74,432/- ₹0 राशि को भी उक्त बैंक खाते में जमा कराया।

5. आपके द्वारा भू-अर्जन कार्यालय, कोडरमा के अभिलेख सं०-326/2013-14 में श्री नन्द किशोर स्वर्णकार, पिता-स्व० काशी सोनार एवं अन्य साकीन चंदवारा को कोडरमा से राँची रेल पथ निर्माण में उनके जमीन के मुआवजा की राशि 51,67,681/- का 75% ₹0 38,75,800/- का भुगतान RTGS के माध्यम से कर दिया गया है, किन्तु संबंधित आदेश फलक एवं सी०सी० विपत्र में आपके द्वारा आदेशित नहीं किया गया है ।

कार्यालय पत्रांक-500/भू०अ०, दिनांक 30.11.2015 द्वारा शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, कोडरमा बाजार, कोडरमा को पत्र प्रेषित किया गया है, जो कार्यालय के निर्गत पंजी से निर्गत है, किन्तु उक्त पत्र पर आपका हस्ताक्षर भी नहीं है, परन्तु संबंधित रोकड़ पंजी एवं चेक कंट्रोल पंजी में उक्त राशि रैयत को निर्गत/प्राप्त होने का साक्ष्य मिलता है ।

6. आपके द्वारा भू-अर्जन कार्यालय, कोडरमा के अभिलेख सं०-265/2013-14 में श्री सीताराम मोदी एवं अन्य, साकीन चंदवारा को कोडरमा से राँची रेल पथ निर्माण में उनके जमीन के मुआवजा की राशि 1,35,28,400/- का 75% ₹0 1,01,46,300/- का भुगतान कार्यालय पत्रांक-451/भू०अ०, दिनांक 26.10.2015 द्वारा शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, कोडरमा बाजार, कोडरमा को प्रेषित पत्र के माध्यम से RTGS द्वारा कर दिया गया है एवं संबंधित आदेश फलक एवं सी०सी० विपत्र में आपके द्वारा आदेशित नहीं किया गया है। संबंधित रोकड़ पंजी एवं चेक कंट्रोल पंजी में उक्त राशि रैयत को निर्गत/प्राप्त होने का साक्ष्य मिलता है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6095, दिनांक 11.05.2017 द्वारा श्री देव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री देव के पत्रांक-शून्य, दिनांक 26.06.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री देव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-737, दिनांक 25.01.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-126, दिनांक 23.05.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री देव के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित सभी छः आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री देव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री देव के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत इनकी समूची पेंशन पर सदा के लिए रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-10134, दिनांक 19.12.2019 द्वारा कार्यालय में उपलब्ध पते पर श्री देव से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई, किन्तु संबंधित पत्र बिना तामिला के वापस आ गया। तत्पश्चात्, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री देव को कारण पृच्छा संबंधी पत्र कार्यालय से प्राप्त कर अपना जवाब समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु श्री देव द्वारा कारण पृच्छा संबंधी पत्र कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया।

श्री देव से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने के कारण मामले के समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री देव के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अन्तर्गत इनकी समूची पेंशन पर सदा के लिए रोक का दण्ड अधिरोपित करने के निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-1764, दिनांक 19.03.2021 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची से श्री देव की समूची पेंशन पर सदा के लिए रोक का दण्ड अधिरोपित करने पर सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1509, दिनांक 23.07.2021 द्वारा श्री देव की समूची पेंशन पर सदा के लिए रोकने के दण्ड पर सहमति संसूचित की गई है।

अतः संचालन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शारदा नन्द देव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-586/03, गृह जिला-दरभंगा), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43(बी) के तहत इनकी समूची पेंशन पर सदा के लिए रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।
